फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

पंजाब नेशनल बैंक सूर्यनगर शाखा आगरा बनाम मैसर्स सद्गुरू बिजनेस प्राइवेट लि० बगैरा।

किस्म मुकदमाः—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु० नम्बर ...18... सन् 2019

RCMS No. 2019/00033

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.19	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री नितिन कुमार पाण्डे प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक सूर्यनगर शाखा आगरा ने ऋणी/बंधक कर्त्ता संख्या 1. मैसर्स सद्गुरू बिजनेस प्राइवेट लि० जरिये निदेशक श्री कमल शर्मा पता औधोगिक प्लॉट G–469, RIICO ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान, 2. श्री कमल शर्मा पुत्र श्री मोहन किशन शर्मा, 3. श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री कमल शर्मा, 4. श्रीमती किरन देवी पत्नी मोहन किशन शर्मा, 5. श्री मोहन किशन शर्मा, 6. मैसर्स स्वास्तिक सुहाम जरिये प्रोपराइटर श्री कमल शर्मा, 7. मैसर्स गुरूकृपा स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री मोहनकिशन शर्मा निवासीगण हाउस नं0 103 सरला बाग, जैन मन्दिर के सामने दयाल बाग, आगरा उत्तर प्रदेश, के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 14.02.2013 को 5,88,00,000/—रूपये मात्र (पांच करोड़ अठ्ठासी लाख रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:— 1. मैसर्स सद्गुरू बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम औधोगिक प्लॉट स्थित प्लॉट संख्या G–469, RIICO ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान एरिया 1500 वर्ग मीटर जिसके पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में प्लॉट सं0 F– 470, उत्तर दिशा में प्लॉट सं0 G – 468, दक्षिण दिशा में सड़क स्थित है। 2. मैसर्स स्वास्तिक सुहाम के नाम औधोगिक प्लॉट स्थित प्लॉट संख्या G–467, RIICO ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान एरिया 1500 वर्ग मीटर जिसके पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में प्लॉट सं0 F– 472, उत्तर दिशा में प्लॉट सं0 G – 466, दक्षिण दिशा में प्लॉट सं0 G – 468 स्थित है। 3. मैसर्स गुरूकृपा स्वीट्स प्राइवेट लि0 के नाम औधोगिक प्लॉट स्थित प्लॉट संख्या G–468, RIICO ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान एरिया 1500	326-28 17-5-19

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर

वर्ग मीटर जिसके पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में प्लॉट, उत्तर दिशा में प्लॉट सं0 G – 467, दक्षिण दिशा में प्लॉट सं0 G – 469 स्थित है। 4. श्री कमल शर्मा के नाम औधोगिक प्लॉट स्थित खसरा नम्बर 2074/77, 2075/77 फूलपुर रोड़ ग्राम मनियां तहसील धौलुपर राजस्थान एरिया 1571 वर्ग मीटर जिसके पूर्व में श्री संजीव शर्मा की सम्पत्ति, पश्चिम में श्रीमती सरोज देवी की सम्पत्ति, उत्तर में फूलपुर रोड़, दक्षिण में अन्य सम्पत्ति स्थित है। 5. श्री श्री कमल शर्मा के नाम औधोगिक प्लॉट स्थित खसरा नम्बर 76/2, 77/1 फूलपुर रोड़ ग्राम मनियां तहसील धौलुपर राजस्थान एरिया 1036.40 वर्ग मीटर जिसके पूर्व में श्रीमती सरोज देवी की सम्पत्ति, पश्चिम में श्री संजीव शर्मा का प्लॉट, उत्तर में फूलपुर रोड़, दक्षिण में अन्य सम्पत्ति स्थित है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 07.01.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 18.01.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 5,77,83,795.64/– रूपये मात्र दिनांक 17. 01.2019 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति 1. मैसर्स सद्गुरू बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम औधोगिक प्लॉट स्थित प्लॉट संख्या G–469, RIICO ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान एरिया 1500 वर्ग मीटर जिसके पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में प्लॉट सं0 F– 470, उत्तर दिशा में प्लॉट सं0 G – 468, दक्षिण दिशा में सड़क स्थित है। 2.

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

मैसर्स स्वास्तिक सुहाम के नाम औधोगिक प्लॉट स्थित प्लॉट संख्या G–467, RIICO ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान एरिया 1500 वर्ग मीटर जिसके पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में प्लॉट सं0 F– 472, उत्तर दिशा में प्लॉट सं0 G – 466, दक्षिण दिशा में प्लॉट सं0 G – 468 स्थित है। 3. मैसर्स गुरूकृपा स्वीट्स प्राइवेट लि0 के नाम औधोगिक प्लॉट स्थित प्लॉट संख्या G–468, RIICO ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान एरिया 1500 वर्ग मीटर जिसके पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में प्लॉट, उत्तर दिशा में प्लॉट सं0 G – 467, दक्षिण दिशा में प्लॉट सं0 G – 469 स्थित है। 4. श्री कमल शर्मा के नाम औधोगिक प्लॉट स्थित खसरा नम्बर 2074/77, 2075/77 फूलपुर रोड़ ग्राम मनियां तहसील धौलुपर राजस्थान एरिया 1571 वर्ग मीटर जिसके पूर्व में श्री संजीव शर्मा की सम्पत्ति, पश्चिम में श्रीमती सरोज देवी की सम्पत्ति, उत्तर में फूलपुर रोड़, दक्षिण में अन्य सम्पत्ति स्थित है। 5. श्री श्री कमल शर्मा के नाम औधोगिक प्लॉट स्थित खसरा नम्बर 76/2, 77/1 फूलपुर रोड़ ग्राम मनियां तहसील धौलुपर राजस्थान एरिया 1036.40 वर्ग मीटर जिसके पूर्व में श्रीमती सरोज देवी की सम्पत्ति, पश्चिम में श्री संजीव शर्मा का प्लॉट, उत्तर में फूलपुर रोड़, दक्षिण में अन्य सम्पत्ति स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 16.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नेहा गिरि
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
धौलपुर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)